



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

डॉ. धरवेश कठेरिया
कुलसचिव
Dr. Dharvesh Katheriya
Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-142/2023
दिनांक : 30.12.2023

सूचना

विधि विभाग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम छमाही के सभी विद्यार्थी विश्वविद्यालय के 27वें स्थापनोत्सव दिनांक 08.01.2024 के लिए सादर आमंत्रित है। आप सभी अपनी सुविधानुसार विश्वविद्यालय में आना सुनिश्चित करें।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(डॉ. धरवेश कठेरिया)

प्रति : संबंधित सभी विद्यार्थी

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. अधिष्ठाता, विधि विद्यापीठ
3. विभागाध्यक्ष, विधि विद्यापीठ
4. कुलानुशासक कार्यालय
5. मुख्य छात्रावास अधीक्षक
6. समस्त छात्रावास अधीक्षक
7. सुरक्षा अधिकारी
8. प्रभारी लीला विश्वविद्यालय की वेबसाइट अपलोड करने हेतु
9. संबंधित पत्रावली